ईएसटीटीई/एसीआर मामले

सं 21011/1/2010-Estt.A

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 13 अप्रैल 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अंतिम ग्रेडिंग के उन्नयन हेतु या एपीएआर में टिपण्णी के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर सामान्य तर्क और वर्ष 2008-09 के रिपोर्टिंग के पूर्व एसीआर रिपोर्ट में निम्न बेंचमार्क ग्रेडिंग।

अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2008-09 में रिपोर्टिंग करने के पहले यदि कुछ भी सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाना है तो अभ्यावेदन के लिए एसीआर रिपोर्ट के प्रतिकूल टिप्पणी पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। एसीआर रिपोर्ट में निर्धारित श्रेणीकरण के प्रश्नों के आधार पर, ऐसे बेंचमार्क जो अगले पदोन्नति के लिए बेंचमार्क के नीचे है, उस पर इस विभाग द्वारा विचार किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता हैं कि यदि कोई कर्मचारी 2008-09 के पहले के अपने एसीआर रिपोर्ट और भविष्य में डीपीसी में पदोन्नति के लिए विचार करते हैं। जो अंतिम श्रेणीकरण में शामिल होने वाले इस प्रकार के आगामी डीपीसी में अपने स्वास्थ का आंकलन करने लिए मान्य करने योग्य होगा, जिसमें अंतिम श्रेणीकरण शामिल है डीपीसी के समक्ष ऐसे एसीआर रिपोर्ट को रखने के पहले संबंधित कर्मचारी को अपने अभ्यावेदन के लिए प्रासंगिक एसीआर रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी। यदि कोई भी 15 दिनों के अंदर ऐसी सूचना नहीं देता है तो यह समझा जा सकता है कि केवल पदोन्नति हेतु प्रासंगिक अवधि के निम्न बेंचमार्क वाले एसीआर रिपोर्ट को भेजे जाने की आवश्यकता है। अन्य वर्षों के निम्न बेंचमार्क वाले एसीआर रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है।

2. मौजूदा निर्देशों के अनुसार, एपीएआर में दी गई अंतिम श्रेणीकरण के उन्नयन हेतु या टिप्पणियों के अभ्यावेदन की जांच सक्षम अधिकारी और आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन और समीक्षा अधिकारी इनमें से किसी एक द्वारा की जानी चाहिए। अभ्यावेदन पर विचार करते समय, सक्षम अधिकारी उनके समक्ष रखे गए तथ्यों के आधार पर अर्द्धन्यायिक ढंग से बात का फैसला निष्पक्षता से करते हैं। यदि वे अभी भी एपीएआर में उनके द्वारा की गई टिपण्णी/ग्रेडिंग के विषय में अभ्यावेदन में उठाये गए मुद्दों पर जांच कर रहे हैं तो इसका यह मतलब होता है कि सक्षम अधिकारी उन अधिकारी के विवादों को ध्यान में रखेंगे जिन्होंने एपीएआर में विशिष्ट टिपण्णी/ग्रेडिंग और प्रतिवेदन और समीक्षा अधिकारी के विचारों के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। यूपीएससी ने इस विभाग को सूचित किया है कि आयोग ने यह माना है कि ऐसे अभ्यावेदन को तय करते समय, सक्षम अधिकारी कभी-कभी जांच में होने पर प्रतिवेदन/समीक्षा अधिकारियों के बातों पर विचार नहीं करते हैं। आयोग ने यह देखा कि ऐसे मामलों के बहुमत में सक्षम अधिकारी अगले पदोन्नति के लिए बेंचमार्क के बराबर निम्न बेंचमार्क एसीआर/एपीएआर ग्रेडिंग के उन्नयन के लिए कोई विशिष्ट कारण देते हैं।

3. इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि एपीएआर में ग्रेडिंग के उन्नयन हेतु या टिपण्णी के विरुद्ध अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए ऐसे मामलों को उन्हें भेजते समय सक्षम अधिकारी को सूचित करें ताकि एपीएआर में दी गई अंतिम ग्रेडिंग के उन्नयन के मामलें में अभी भी जांच होने पर संबंधित प्रतिवेदन/समीक्षा अधिकारी के विचारों को ध्यान में रखने के बाद अभ्यावेदन पर निर्णय निष्पक्षता से लिया जा सकें।

(सी.ए. सुब्रमण्यम)
निदेशक

प्रति

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग